न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस

मिसल नं.– 66/2023

सरकार बनाम सवाई सिंह, महावीर सिंह पुत्र गाड सिंह जाति राजपुत निवासी आसलवास तहसील सूरजगढ

किस्म मुकदमा–अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 26.12..2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल सवाई सिंह, महावीर सिंह पुत्र गाड सिंह जाति राजपूत निवासी आसलवास तहसील सूरजगढ द्वारा रोही मौजा आसलवास की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 314 के कुल रकबा 0.36 है. किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.07 है. भूमि को गै.मु. रास्ते को अपने मूल कटानी स्थान से हटाकर मौके पर खेत के उत्तर पूर्वी सीमा के सहारे करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया । गैर सायल की ओर से एडवोकेट हवासिह चौहान ने अभिभाशक पत्र पेश किये गये। जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद अभिभाशक की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये गये दिनांक 26.12.2023 को बार बार आवाज लगवाने पर भी अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।।अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्व बेदखल करने के आदेश दिए जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 21 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतू लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० लें० गा० 4 के पृष्ठ में 42 पर
वर्ष 23-24 में रुपये 21/– कायम किए
राजस्व लेखाकार